(1)

2021/90

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

भूपेश बैनीवाल पता ग्राम व पोस्ट मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)– अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं डिप्टी कमाण्डेड, गृहरक्षक विभाग, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 50 /2021 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु. 29.06.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.06.2021	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं डिप्टी कमाण्डेड, गृहरक्षक विभाग, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 10.05.2021 को आवेदन प्रेषित कर दिनांक 06.08.2020 को दिये गये परिवाद पर रामानुज होमगार्ड के खिलाफ की गई कार्यवाही एवं होमगार्ड को सेवा से पृथक करने के नियम से संबंधित कुल दो बिन्दूओं की सूचना में सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत किये गये आवेदन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है। लोक सूचना अधिकारी एवं डिप्टी कमाण्डेड, गृहरक्षक विभाग, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं हैं। अतः अपील, अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	739 05.07.2021